

झारखण्ड सरकार

उद्योग विभाग

**हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय**  
**कार्यालय- सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), चाईबासा**

**अति-अल्पकालीन निविदा/कोटेशन आमंत्रण सूचना- 02/2025-26**

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 का में कोल्हान प्रक्षेत्र के विभिन्न अग्र परियोजना केन्द्रों में कार्यालय, कार्यालय बीजागार एवं राजकीय फार्म तथा सिल्क समग्र योजना हेतु सामग्री/ उपस्कर आदि क्रय किया जाना है। उक्त के प्रयोजनार्थ इच्छुक इकाई/प्रतिष्ठान से सीलबंद (लाह से) निविदा/कोटेशन आमंत्रित की जाती है-

1. कार्यालय में निविदा जमा करने की अंतिम तिथि- दिनांक 18.03.2026 को अपराहन 05.00 बजे तक।
2. निविदा जमा करने का स्थान- सहायक उद्योग निदेशक(रेशम), प0 सिंहभूम, चाईबासा का कार्यालय।
3. निविदा खोलने की तिथि- दिनांक 19.03.2026 को पूर्वाहन 11.00 बजे।
4. EMD कि राशि-
  - I. केवल भाग- I हेतु- रू0 50,000/- (पचास हजार रुपये) मात्र।
  - II. केवल भाग- II हेतु- रू0 1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र।
  - III. भाग- I एवं भाग- II दोनों हेतु- रू0 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) मात्र।
5. सहायक उद्योग निदेशक(रेशम), प0 सिंहभूम, चाईबासा की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के समक्ष निविदा खोला जायेगा एवं न्यूनतम दर वाले आपूर्तिकर्ता का चयन किया जायेगा।
6. चयनित निविदाकर्ता को कार्यदेश निर्गत होने के दस दिनों के अन्दर सामग्री की आपूर्ति कार्यालय (कोल्हान प्रक्षेत्र के विभिन्न अग्र परियोजना केन्द्रों) में करना होगा।
7. निविदाकर्ता द्वारा वित्तीय विड में अंकित किये गये जी0एस0टी0 सहित सामग्री के मूल्य के अतिरिक्त अन्य कोई कर अथवा व्यय भुगतान नहीं किया जायेगा और न ही कोई अग्रिम भुगतान किया जायेगा।
8. इस निविदा को किसी भी समय बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

नोट:- निविदा से संबंधित नियम एवं शर्तें एवं सामग्रीयों/उपस्कर की सूची का विवरण कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखी जा सकता/ प्राप्त किया जा सकता हैं। साथ ही इससे संबंधित सूचना कार्यालय की वेवसाईट -[www.adicbsa.com](http://www.adicbsa.com) एवं हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय, झारखण्ड, राँची की वेवसाईट-<https://jharsericulture.jharkhand.gov.in/> पर देखा जा सकता है।

ह0/-

सहायक उद्योग निदेशक (रेशम),  
प0 सिंहभूम, चाईबासा।

झारखण्ड सरकार

उद्योग विभाग

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय

कार्यालय— सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), चाईबासा

अति-अल्पकालीन निविदा/कोटेशन आमंत्रण सूचना— 02/2025-26

वित्तीय वर्ष 2025-26 का मैं कोल्हान प्रक्षेत्र के विभिन्न अग्र परियोजना केन्द्रों में कार्यालय, कार्यालय बीजागार एवं राजकीय फार्म तथा सिल्क समग्र योजना हेतु सामग्री/ उपस्कर आदि क्रय किया जाना है। उपरोक्त क्रम में कोल्हान प्रक्षेत्र के विभिन्न अग्र परियोजना केन्द्रों में उपस्कर/ सामग्री आदि आपूर्ति के निमित्त इच्छुक इकाई/प्रतिष्ठान से दिनांक— 18.03.2026 के अपराह्न 05.00 बजे तक निम्नांकित नियम एवं शर्तों के अधीन सीलबंद निविदा/कोटेशन आमंत्रित की जाती है। स-समय प्राप्त कोटेशन को दिनांक— 19.03.2026 को ही पूर्वाह्न 11.00 बजे सहायक उद्योग निदेशक(रेशम), प0 सिंहभूम, चाईबासा की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के समक्ष सहायक उद्योग निदेशक(रेशम), प0 सिंहभूम, चाईबासा के कार्यालय कक्ष में खोला जायेगा। निविदा/कोटेशन जमा करने से संबंधित नियम-शर्तों का विवरण एवं सामाग्रियों/उपस्कर की सूची परिशिष्ट— 'ख' (भाग— I तथा भाग— II) कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही इससे संबंधित सूचना कार्यालय की वेबसाईट —[www.adicbsa.com](http://www.adicbsa.com) एवं हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय, झारखण्ड, राँची की वेबसाईट— <https://jharsericulture.jharkhand.gov.in/> पर देखा जा सकता है।

#### नियम एवं शर्तें

1. इकाई/प्रतिष्ठान जी0 एस0 टी0 निबंधित होना चाहिये।
2. रेशम प्रक्षेत्र के किसी भी कार्यालय (झारखण्ड सरकार/केन्द्र सरकार) में रेशम कीटपालन/ बीजागार सामग्री आपूर्ति कराने का अनुभव होना चाहिये।
3. निविदा/कोटेशन के साथ अग्रधन (EMD) का बैंक ड्राफ्ट, सहायक उद्योग निदेशक (रेशम) के नाम से देय होगा एवं चाईबासा में भूगतेय होगा। विवरण—
  - I. केवल भाग— I हेतु— रू0 50,000/— (पचास हजार रुपये) मात्र।
  - II. केवल भाग— II हेतु— रू0 1,00,000/— (एक लाख रुपये) मात्र।
  - III. भाग— I एवं भाग— II दोनों हेतु— रू0 1,50,000/— (एक लाख पचास हजार रुपये) मात्र।
4. बैंक ड्राफ्ट भारतीय स्टेट बैंक से ही निर्गत होना चाहिए।
5. सामाग्रियों/उपस्कर की सूची —परिशिष्ट— 'ख' (भाग— I तथा भाग— II) पर अंकित है।
6. तकनीकी निविदा के कागजात/शर्तें परिशिष्ट— 'क' के अनुसार संलग्न करना होगा एवं लिफाफा के उपर तकनीकी निविदा स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिये।

7. भाग- I एवं भाग- II के सामग्रियों हेतु अलग- अलग वित्तीय निविदा में देना है जिसमें सिर्फ सभी सामग्रियों/उपस्कारों का मूल्य प्रति ईकाई जी0 एस0 टी0 के दर को प्रदर्शित करते हुये, जी0 एस0 टी0 सहित अंकित होना चाहिये तथा लिफाफा के उपर वित्तीय निविदा तथा भाग- I/भाग- II स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिये। साथ ही आवश्यकतानुसार सामग्रियों/उपस्कारों के ब्राण्ड या कम्पनी का नाम भी अंकित करना अनिवार्य है।
8. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा के लिफाफों को सील कर पुनः एक अन्य लिफाफा में डालकर लाह से सीलबंद कर कार्यालय में समर्पित करना होगा। बाहरी लिफाफा लाह से सीलबंद नहीं रहने पर स्वीकार नहीं किया जायेगा।
9. तकनीकी निविदा में सक्षम इकाई का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।
10. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
11. चयनित इकाईयों को छोड़कर शेष इकाईयों आवेदन देकर अपना EMD (बैंक ड्राफ्ट) उसी दिन वापस प्राप्त कर सकते हैं।
12. चयनित इकाईयों का अग्रधन की राशि चालू वित्तीय वर्ष में कोल्हान प्रक्षेत्र के विभिन्न अग्र परियोजना केन्द्रों में उनके मांग के अनुरूप सामग्रियों/उपस्कारों की गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति किये जाने के स्थिति में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त वापस की जायेगी।
13. क्रय समिति द्वारा दर निर्धारण के उपरान्त क्रय आदेश निर्गत होने की स्थिति में 10 दिनों के अन्दर सामग्री/उपस्कारों की आपूर्ति संबंधित अग्र परियोजना केन्द्र निश्चित रूप से करनी होगी।
14. चयनित इकाई/इकाईयों को क्रय समिति द्वारा दर निर्धारण के उपरान्त निर्धारित दर पर ही कोल्हान प्रक्षेत्र के सभी अग्र परियोजना केन्द्रों में उनके माँग/मात्रा के अनुरूप आपूर्ति करनी है।
15. अग्र परियोजना केन्द्रों में सामग्री/उपस्कारों की आपूर्ति हेतु सामग्री/उपस्कारों के निर्धारित मुल्य (GST सहित) के अतिरिक्त परिवहन व्यय या अन्य कोई व्यय का भुगतान देय नहीं होगा अर्थात चयनित इकाई को स्वयं के व्यय पर कार्यालय (कोल्हान प्रक्षेत्र के विभिन्न अग्र परियोजना केन्द्रों) तक सामग्री उपलब्ध करानी होगी अन्य कोई व्यय स्वीकार/भुगतान नहीं किया जायेगा।
16. स-समय सामग्री/उपस्कारों की आपूर्ति संबंधित अग्र परियोजना केन्द्र में नहीं किये जाने की स्थिति में अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं इकाई/प्रतिष्ठान को Blacklist करने के निमित्त अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकती है।
17. सभी भुगतान कोषागार द्वारा अनुमान्य कटौती के उपरान्त किया जायेगा।
18. क्रय समिति द्वारा निर्धारित दरें क्रय समिति के बैठक की तिथि से अधिकतम एक वर्ष के लिए मान्य होगी।

19. झारखण्ड अधिप्राप्ति नीति 2014 (Jharkhand Procurement Policy-2014) यथा संशोधित 2019 के प्रावधान के अनुसार MSEs प्रक्षेत्र के इकाईयों को आवश्यक छूट/लाभ प्रदत्त होगी।
20. Jharkhand Procurement of Goods and Services Manual में वर्णित प्रावधानों के अनुसार निविदा की शर्तें लागू होगी। (अधिसूचना सं- 2315, दिनांक- 04.10.2024, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार की द्वारा अधिसूचित)
21. बिना कारण बताये अद्योहस्ताक्षरी को निविदा को रद्द करने/ निविदा की शर्तें संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

हो/-  
सहायक उद्योग निदेशक (रेशम),  
प0 सिंहभूम, चाईबासा।

**परिशिष्ट- 'क'- (तकनीकी निविदा की शर्तें)**  
**निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता को तकनीकी लिफाफे में निम्न कागजाद को संलग्न करना अनिवार्य है-**

1. पैन कार्ड की स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति।
2. जी0 एस0 टी0 निबंधन की स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति।
3. अग्रधन (EMD) का बैंक ड्राफ्ट, सहायक उद्योग निदेशक (रेशम) के नाम से देय होगा एवं चाईबासा में भुगतये होगा। विवरण-
  - I. केवल भाग- I हेतु- रू0 50,000/- (पचास हजार रुपये) मात्र।
  - II. केवल भाग- II हेतु- रू0 1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र।
  - III. भाग- I एवं भाग- II दोनों हेतु- रू0 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) मात्र।
4. बैंक ड्राफ्ट भारतीय स्टेट बैंक से ही निर्गत होना चाहिए।
5. अद्यतन जी0 एस0 टी0 का रिटर्न फाईल की स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति (तीन माह से पूर्व का मान्य नहीं)।
6. विगत तीन वर्ष (Assesment year- 2023-24, 2024-2025 एवं 2025-26) का आयकर रिटर्न फाईल की स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति।
7. उद्यम निबंधन का प्रमाण पत्र की स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति।
8. आपूर्तिकर्ता के पूर्व से Blacklisted नहीं होने से संबंधित शपथ-पत्र। (छायाप्रति मान्य नहीं होगा तथा निविदा प्रकाशित होने के बाद की तिथि का बना होना चाहिये)
9. रेशम प्रक्षेत्र के किसी भी कार्यालय (झारखण्ड सरकार/केन्द्र सरकार) में रेशम कीटपालन/बीजागार सामाग्री आपूर्ति कराने का अनुभव होना चाहिये।

ह0/-  
सहायक उद्योग निदेशक (रेशम),  
प0 सिंहभूम, चाईबासा।

झारखण्ड सरकार

उद्योग विभाग

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय

कार्यालय- सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), चाईबासा

अति-अल्पकालीन निविदा/कोटेशन आमंत्रण सूचना- 02/2025-26

सामाग्री का विवरण (परिशिष्ट- ख)

भाग - I (कार्यालय, कार्यालय बीजागार एवं राजकीय फार्म से संबंधित सामग्री)

क्र०	सामाग्री का नाम	ठकाई	अभियुक्ति
1	खस मैट साईज- 5' x 6' / 5' x 4'	प्रति वर्ग फुट	
2	अर्दन पॉट एग लेईंग हेतु	प्रति पीस	
3	डीजल फ्लेम गन सेट	प्रति पीस	
4	द्राली (wheelbarrow) 2- wheels, body type- plastic/steel , capacity- 60-100 liters	प्रति पीस	कोटेशन में body type एवं capacity स्पष्ट अंकित करें।
5	द्राली (wheelbarrow) 3- wheels, body type- plastic/steel , capacity- 120-160 liters	प्रति पीस	कोटेशन में body type एवं capacity स्पष्ट अंकित करें।
6	द्राली (wheelbarrow) 4- wheels, body type- plastic/steel , capacity- 200-250 liters	प्रति पीस	कोटेशन में body type एवं capacity स्पष्ट अंकित करें।
7	Fencing Chain link wire mesh size 4" x4" , made by 12 gauge wire, height- 4'	प्रति वर्ग फुट	
8	Printer- Hp (best simplex laser printer-1188fnw	प्रति पीस	
9	Colour Printer- EPSON L6270	प्रति पीस	
10	ग्रास कटर/वीड कटर Falcon FBC-35	प्रति पीस	
11	ग्रास कटर/वीड कटर Honda Gx 35 petrol	प्रति पीस	
12	Water Purifier KENT Supreme plus	प्रति पीस	
13	तीरपाल साईज- 40'x 30'	प्रति पीस	
14	Humidifier - 08 ltr, SS with Timer (Almicro/Lafco)	प्रति पीस	
15	सिलीग फैन - 1200/1400 एम०एम० (Bajaj/Havells)	प्रति पीस	
16	Desktop Set with UPS - I5, 13 <sup>TH</sup> GENERATION, 16 RAM, 1TB SSD WINDOW 11, Monitor - 24 Inch (HP/DELL)	प्रति सेट	
17	Wooden Tare with iron wire mesh size 3ftX2ft	प्रति पीस	

नोट:- जिन सामग्रीयों में ब्रण्ड या कम्पनी का नाम अंकित नहीं किया गया है, तथा विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अलग- अलग ब्राण्ड या कम्पनी का वित्तीय निविदा में दर अंकित किया गया हो तो वैसी स्थिति में न्यूनतम मुल्य एवं गुणवत्ता दोनो के आधार पर निर्णय लिया जायेगा तथा इस संदर्भ में क्रय समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

हो/-

सहायक उद्योग निदेशक (रेशम),  
प० सिंहभूम, चाईबासा।

झारखण्ड सरकार

उद्योग विभाग

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय  
कार्यालय- सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), चाईबासा

अति-अल्पकालीन निविदा/कोटेशन आमंत्रण सूचना- 02/2025-26

सामाग्री का विवरण (परिशिष्ट- ख)

भाग - II (सिल्क समग्र योजना से संबंधित सामग्री)

क्र०	सामाग्री का नाम	इकाई	अभियुक्ति
1	सिकेचर प्रोफेसनल (फालकॉन)	प्रति पीस	
2	Looping shear (फालकॉन)	प्रति पीस	
3	नाईलॉन नेट size-40'x30'x10'	प्रति पीस	
4	गटोर स्प्रेयर - Air compressor tank brass made ब्रान्डेड कम्पनी का	प्रति सेट	
5	माईक्रोस्कोप लाईट अर्रैजमेंट के साथ Compound Microscope having Magnification 15X45 (Almicro/Lafco)	प्रति पीस	
6	प्लास्टीक मग (1 ली०) - ब्रान्डेड कम्पनी का	प्रति पीस	
7	प्लास्टीक बाल्टी (20 ली०) - ब्रान्डेड कम्पनी का	प्रति पीस	
8	प्लास्टीक टव (10 ली०) - ब्रान्डेड कम्पनी का	प्रति पीस	
9	प्लास्टीक टव (20 ली०) - ब्रान्डेड कम्पनी का	प्रति पीस	
10	प्लास्टीक ड्रम (60 ली०) - ब्रान्डेड कम्पनी का	प्रति पीस	
11	नाईलॉन नेट बैग (एग लेईंग हेतु)	प्रति पीस	दोनों में से किसी एक का क्रय किया जायेगा।
12	एग लेईंग बाक्स (एग लेईंग हेतु)	प्रति पीस	
13	एग ड्राईंग कैबिनेट (With fan) साईज- L-3', W-2', H- standard	प्रति पीस	
14	मॉथ टेस्टींग टेबल (लकड़ी का) साईज- L- 5' W-1.5' H- Standard	प्रति पीस	

15	लकड़ी का स्टुल साईज- Standard	प्रति पीस	
16	खरल -मुसल (10 गुभ)	प्रति सेट	
17	मेजरिंग सिलेंडर 250 मी०ली० प्लास्टीक का	प्रति पीस	
18	वेईंग वैलेंस (01 ग्राम से 02 कि०ग्रा० कैपेसिटी) Battery operated with charging Facility	प्रति पीस	
19	डिस्टेन्फेक्सन मास्क (eye protection के साथ)	प्रति पीस	
20	Wet & Dry थर्मामीटर (Zeal)	प्रति पीस	
21	Max-Min थर्मामीटर (Zeal)	प्रति पीस	
22	सोलर लालटेन (ISI Mark)	प्रति पीस	
23	G.I. wire 2.5 mm	प्रति किलो	

नोट:- जिन सामग्रीयों में ब्रण्ड या कम्पनी का नाम अंकित नहीं किया गया है, तथा विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अलग- अलग ब्रण्ड या कम्पनी का वित्तीय निविदा में दर अंकित किया गया हो तो वैसी स्थिति में न्यूनतम मुल्य एवं गुणवत्ता दोनो के आधार पर निर्णय लिया जायेगा तथा इस संदर्भ में क्रय समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

ह०/-

सहायक उद्योग निदेशक (रेशम),  
प० सिंहभूम, चाईवासा।